HIGH COURT BAR ASSOCIATION, ALLAHABAD

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President
Radha Kant Ojha ✆ 9415217248

Hony. Secretary
Satya Dheer Singh Jadaun ✆ 9839024686

Senior Vice President

Manoj Kumar Mishra	9415369350

Vice President

Niraj Kumar Tripathi	9415625185
Surendra Nath Mishra	9450635316
Dharmendra Singh Yadav	8574241399
Satyam Pandey	9794110204
Shyama Charan Tripathi (Munchun)	9695756432

Join Secretary Administration

Sanjay Singh Somvanshi	9415256798

Join Secretary Library

Yadvesh Yadav	9450585652

Join Secretary Press

Ashutosh Tripathi	9415707207

Join Secretary Women

Ushma Mishra	9984551328

Treasurer

Arun Kumar Singh	9792502040

Member of Governing Council

Pooja Singh	8543957474
Priyanka Sharma	7007373939
Annapurna Singh	9838712214
Rakhi Kumari	8563831665
Anuj Kumar Singh	9415316691
Jitendra Singh	9651101001
Dileep Kumar Yadava	9307778303
Anurag Shukla	9453636990
Abhishek Tiwari	9451511274
Syed Faiz Hasnain	7860127272
Akhilesh Kumar Shukla	9794446555
Hari Mohan Kesarwani	8808957178
Deepankar Dwivedi	9793188438
Manav Chaurasia	9415290750
Vikrant Neeraj	9839484634

H.C.B.A. Ref. No. ....

Dated : 17.09.2022

प्रकाशनार्थ

प्रयागराज! हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के संयुक्त सचिव प्रेस श्री आशुतोष त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के चार अधिवक्तागण का नाम कोलोजियम द्वारा माननीय न्यायमूर्ति हेतु प्रस्तावित किया जाने के विरोध में एक प्रेस कांफ्रेस आज दि0 17.09.2022 को लाइब्रेरी हाल में आयोजित की गयी, जिसका संचालन महासचिव श्री सत्य धीर सिंह जादौन द्वारा किया गया। इस दौरान श्री आई0के0 चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष, श्री ओ0पी0 सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राणेश दत्त त्रिपाठी, अशोक कुमार सिंह, डॉ0 सी0पी0 उपाध्याय, ए0सी0 तिवारी, पूर्व महासचिवगण सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित रहे।

प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व अध्यक्ष श्री राधा कान्त ओझा ने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में वकालत कर रहे अधिवक्ताओं की जगह उच्चतम न्यायालय/अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे अधिवक्ता का नाम कोलोजियम द्वारा प्रस्तावित किए जाने का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद विरोध करती है जिसका कारण निम्नवत है :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 217 व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी गयी है कि उच्च न्यायालय में विधि व्यवसायरत अधिवक्ता ही न्यायमूर्ति के लिए पात्र होगें।

(2) मा0 उच्च न्यायालय में विधि व्यवसायरत अधिवक्ता ही सम्बन्धित प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हुए एक बेहतर निर्णय दे सकता है।

(3) मा0 उच्च न्यायालय में विधि व्यवसायरत अधिवक्ता ही प्रादेशिक नियमों व कानूनों का बेहतर जानकार होता है जिसका लाभ वादकारियों को निश्चित रूप से मिलता है।

(4) मा0 उच्च न्यायालय की कोलोजियम द्वारा ऐसे अधिवक्तागण के नाम को न्यायमूर्ति के रूप में प्रस्तावित किया जाना, जिनके बारे में स्वतः कोलोजियम को जानकारी न रही हो, अनुचित है।

(5) मा0 उच्च न्यायालय की कोलोजियम द्वारा मा0 न्यायमूर्ति की नियुक्ति हेतु बाहर से आयातित नामों को प्रस्तावित किए जाने से मा0 न्यायमूर्तिगण की नियुक्ति की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाय। इसी के साथ–साथ उ0प्र0 न्यायिक रेवेन्यू सर्विसेज की स्थापना की जाय जिसमें केवल अधिवक्ताओं को ही नियुक्त किया जाय।

महासचिव श्री सत्य धीर सिंह जादौन ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि विषय उपरोक्त पर जल्द ही देश के सभी उच्च न्यायालयों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को आमन्त्रित करते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया जायेगा तथा सेमिनार में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष को मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय व समस्त उच्च न्यायालयों के मा0 मुख्य न्यायमूर्तिगण को सम्प्रेषित कर मा0 न्यायमूर्तिगण की नियुक्ति में पारदर्शिता को बरकरार रखे जाने हेतु उचित निर्णय लेने हेतु दबाव बनाया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में निवास करने वाले आम–जनमानस को प्रभावित करने वाले प्रदेश सरकार के ऐसे निर्णय जिसमें मुख्य रूप से पुलिस मुख्यालय, महालेखाकार कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा सेवा आयोग, राजस्व परिषद सहित अनेक महत्वपूर्ण संस्थान का प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरण का विरोध करती है और जल्द ही एक निश्चित रूप रेखा के साथ उक्त निर्णय के विरोध में एक बड़े आन्दोलन की शुरूआत करने का निर्णय लेती है।

अंत में उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद आगामी दिनांक 19.09.2022 (सोमवार) से पूर्व की भाँति न्यायिक कार्य करने का निर्णय लेती है।

प्रेस वार्ता में श्री मनोज कुमार मिश्र (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), सर्वश्री नीरज कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र नाथ मिश्र, धर्मेन्द्र सिंह यादव, सत्यम पाण्डेय, श्यामा चरण त्रिपाठी (उपाध्यक्षगण), संजय सिंह "सोमवंशी" (संयुक्त सचिव, प्रशासन), यादवेश यादव (संयुक्त सचिव, लाइब्रेरी), आशुतोष त्रिपाठी (संयुक्त सचिव, प्रेस), ऊष्मा मिश्रा (संयुक्त सचिव, महिला), अरूण कुमार सिंह (कोषाध्यक्ष), पूजा सिंह, प्रियंका शर्मा, अन्नपूर्णा सिंह चन्देल, राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, जितेन्द्र सिंह, दिलीप कुमार यादव, अनुराग शुक्ला, अभिषेक तिवारी, सैय्यद फैज हसनैन, अखिलेश कुमार शुक्ला, हरि मोहन केसरवानी, दीपांकर द्विवेदी, मानव चौरसिया एवं विक्रान्त नीरज (कार्यकारिणी सदस्यगण) सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

Ashutosh Tripathi

(आशुतोष त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव (प्रेस)

ASHUTOSH TRIPATHI
Joint Secretary (PRESS)
High Court Bar Association
Allahabad